



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (श10)
(सं0 पटना 968) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना सं०-37/2017-राज्य कर (दर)

एस0 ओ0 225, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, उन वस्तुओं की राज्यान्तर्गत आपूर्ति पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्संबंधी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट के अनुसार स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में राज्य कर की दर तथा स्तंभ (5) में निर्दिष्ट शर्त के अधीन हों, को अधिसूचित करते हैं, यथा:-

तालिका

क्रम सं०	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर	शर्त सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं० 1/2017- राज्य कर (दर), तारीख 29 जून, 2017, जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में संख्या 544 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65%	1
2	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं० 1/2017- राज्य कर (दर), तारीख 29 जून, 2017, जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में संख्या 544 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65%	2

2. बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

- (1) इस अधिसूचना में उल्लिखित, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975(1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष, अध्याय से है।
- (2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से संबंधित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोटस और सामान्य स्पष्टीकरण और टिप्पणियां भी शामिल हैं, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे।

अनुबंध

शर्त सं०	शर्त
1	मोटर वाहन को पट्टाकर्ता ने 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे 1 जुलाई, 2017 के पहले पट्टे पर दिया हो।
2	<ol style="list-style-type: none"> i. मोटर वाहन का आपूर्तिकर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति हो। ii. ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसने मोटर वाहन को 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-37)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

13 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 226, एस०ओ० 225, दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-37)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 13th October 2017

Notification No.-37/2017- State Tax (Rate)

S.O. 225, dated 13th October 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the State tax on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, at the rate specified in corresponding entry in column (4) and subject to relevant conditions annexed to this notification, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid:

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	87	Motor Vehicles	65% of State tax applicable otherwise on such goods under Notification No. 1/2017-State Tax (Rate) dated, 29 th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide No. 544, dated the 29 th June, 2017.	1
2.	87	Motor Vehicles	65% of State tax applicable otherwise on such goods under Notification No. 1/2017-State Tax (Rate) dated, 29 th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide No. 544, dated the 29 th June, 2017.	2

2. Provided that nothing contained in this notification shall apply on or after 1st July, 2020.

Explanation –For the purposes of this notification, -

- (i) “Tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of

the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1.	The Motor Vehicles was purchased by the lesser prior to 1 st July, 2017 and supplied on lease before 1 st July, 2017
2.	<ol style="list-style-type: none">i. The supplier of Motor Vehicle is a registered person.ii. Such supplier had purchased the Motor Vehicle prior to 1st July, 2017 and has not availed input tax credit of central excise duty, Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017-37)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 968-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>